प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

WPCR No. 233/2021

- विनेश कुर्रे, पिता स्वर्गीय हीरा लाल कुर्रे, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी–ग्राम भैसो, थाना एवं तहसील–पामगढ़, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, थाना–राखी, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
2. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
3. पुलिस अधीक्षक, जांजगीर, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़
5. पुलिस महानिदेशक, रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़
6. सम्मी सागर माहेश्वरी, पिता– सुख सागर माहेश्वरी, निवासी–ग्राम भैसो, थाना– पामगढ़, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़
7. पवन दिवाकर, पिता– गोवर्धन दिवाकर, उम्र–लगभग 27 वर्ष, निवासी– ग्राम भैसो, थाना पामगढ़, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़
8. थाना प्रभारी, थाना– पामगढ़, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़
9. सहायक उपनिरीक्षक बसु राजपुर, थाना– पामगढ़, जिला: जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ

----उत्तरदातागण

.....

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री एन०के चटर्जी, अधिवक्ता
उत्तरदातागण के लिए : श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक महाधिवक्ता

.....

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास

बोर्ड पर आदेश

07.06.2021

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका (अपराधिक) दायर किया है, जिसमें मुख्य रूप से तर्क दिया गया है कि दिनेश कुर्रे का पुत्र भूपेंद्र कुमार कुर्रे उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी भैसो, जिला – जांजगीर–चांपा, सम्मी सागर, पवन दिवाकर, तुलेश्वर दिवाकर और शिव प्रसाद बांडे के साथ शराब मुर्गा पार्टी में शामिल होने गया था। शराब पीने के बाद भूपेंद्र और नरेंद्र अपने घर वापस आ गए और उसी दिन शाम करीब 07:00 बजे याचिकाकर्ता मृतक भूपेंद्र कुर्रे के घर पर आरोपी व्यक्तियों सम्मी सागर माहेश्वरी, पवन दिवाकर, शिव प्रसाद बांडे और तुलेश्वर दिवाकर ने भूपेंद्र दिवाकर को बुलाया और झिलमिली रोड के पास बैसो में भगोलवा तालाब पर ले गए, जहां तुलेश्वर दिवाकर और शिव बांडे ने मृतक भूपेंद्र को फिर से शराब पिलाई। सम्मी सागर और पवन दिवाकर भी वहां मौजूद थे। इसके बाद मृतक भूपेंद्र दिवाकर को दर्द होने लगा, जिसके चलते आरोपियों ने हाजमोला की जगह सेलफॉस दे दिया, जिससे दम घुटने लगा, इसके बाद याचिकाकर्ता विनेश कुर्रे वहां पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर तुलेश्वर दिवाकर और शिव प्रसाद बांडे के खिलाफ धारा 302, 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस स्टेशन पामगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पामगढ़ के समक्ष पेश किया गया, लेकिन सम्मी सागर माहेश्वरी और पवन दिवाकर के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया। यह भी तर्क दिया गया कि सम्मी सागर माहेश्वरी और पवन दिवाकर दोनों व्यक्ति भी सह–आरोपी थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया।

3. याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 28.12.2020 एवं 04.03.2021 को सम्मी सागर माहेश्वरी एवं पवन दिवाकर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, अतः उन्होंने रिट याचिका प्रस्तुत कर निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की :–

> "10.1 माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें तथा एसएचओ, थाना–पामगढ़ और एसपी जांजगीर–चांपा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दें कि वे याचिकाकर्ता द्वारा भेजी गई लिखित शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करें, जो सल्फास द्वारा भूपेंद्र दुर्रे की हत्या से संबंधित है और जिसके कारण भूपेंद्र कुर्रे की 05–12–2020 को मृत्यु हो गई।

10.2 याचिका के तथ्यों और परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा उचित और उचित समझी जाने वाली कोई अन्य राहत कृपया पारित की जाए।"

4. मांगी गई राहतों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता चाहता है कि शिकायत के आधार पर भूपेंद्र कुर्रे की हत्या के अपराध के लिए सम्मी सागर माहेश्वरी और पवन दिवाकर नामक व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिनकी 05.12.2020 को मृत्यु हो गई।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

6. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रार्थना खण्ड से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 6 सम्मी सागर माहेश्वरी तथा प्रतिवादी संख्या 7 पवन दिवाकर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु पुलिस को निर्देश देने के लिए वर्तमान याचिका दायर की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने की निंदा की है तथा निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता को अपराध दर्ज करने के लिए शिकायत पर जांच करने हेतु पुलिस को निर्देश जारी करने के लिए सीआरपीसी की धारा 200 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करनी चाहिए। याचिकाकर्ता के पास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 200 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का वैकल्पिक उपाय है, इसलिए यह रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सीआरपीसी की धारा 156 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की जांच नहीं कर रहा है तो मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के लिए आदेश दे सकता है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, जिसे सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अधिकार प्राप्त है, शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना पर या अपने स्वयं के ज्ञान पर कि ऐसा अपराध किया गया है, अपराध का संज्ञान ले सकता है। सीआरपीसी की धारा 200 में शिकायतकर्ता की जांच का प्रावधान है।

8. चूंकि याचिकाकर्ता के पास सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का उपाय है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने **साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] के मामले में पैराग्राफ 27 और 28 में इस मुद्दे की जांच की है, जो इस प्रकार है:–

> "27. जैसा कि हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं, मजिस्ट्रेट के पास एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने और उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए बहुत व्यापक अधिकार हैं, और इस उद्देश्य के लिए वह जांच की निगरानी कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जांच ठीक से की गई है (हालांकि वह खुद जांच नहीं कर सकता)। उच्च न्यायालय को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत रिट याचिका या याचिका दायर करने की प्रथा को हतोत्साहित करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति को शिकायत है कि उसकी एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई है, या दर्ज होने के बाद, पुलिस द्वारा उचित जांच नहीं की गई है। इस शिकायत के लिए, संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष धारा 36 और 154 (3) के तहत उपाय है, और यदि वह लाभ नहीं उठाता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत या धारा 200 सीआरपीसी के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करके और धारा सीआरपीसी के तहत रिट याचिका या याचिका दायर करके नहीं।
>
> 28. यह सच है कि वैकल्पिक उपाय रिट याचिका पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यह भी समान रूप से स्थापित है कि यदि कोई वैकल्पिक उपाय है तो उच्च न्यायालय को आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साकिरी वासु (सुप्रा) में पारित निर्णय **एम. सुब्रमण्यम एवं अन्य बनाम एस. जानकी एवं अन्य**[2] के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पुनः विचारार्थ लाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसी निर्णय पर विचार करने के पश्चात पैरा 7 एवं 9 में निम्नलिखित निर्णय दिए हैं:–

> "7. **सुधीर भास्करराव तांबे बनाम हेमंत यशवंत धागे (एससीसी पृष्ठ 278, पैरा 2–4)** में उक्त अनुपात का पालन किया गया है, जिसमें यह देखा गया है:
>
> > "2. इस न्यायालय ने सकीरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माना है कि यदि किसी व्यक्ति को यह शिकायत है कि उसकी एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई है, या दर्ज होने के बाद भी उचित जांच नहीं की जा रही है, तो पीड़ित व्यक्ति का उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जाना नहीं है, बल्कि धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत संबंधित

1 (2008) 2 SCC 409
2 (2020) 16 SCC 728

मजिस्ट्रेट से संपर्क करना है। यदि धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत ऐसा कोई आवेदन किया जाता है और मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया संतुष्ट है, तो वह एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है, या यदि यह पहले ही दर्ज हो चुका है, तो वह उचित जांच करने का निर्देश दे सकता है, जिसमें उसके विवेक पर, यदि वह इसे आवश्यक समझता है, तो जांच अधिकारी को बदलने की सिफारिश करना शामिल है, ताकि मामले में उचित जांच हो सके। हमने सकीरी वासु मामले में यह इसलिए कहा है क्योंकि हमने इस देश में पाया है कि उच्च न्यायालयों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने या उचित जांच के लिए प्रार्थना करने वाली रिट याचिकाओं की बाढ़ आ गई है।

3. हमारा मानना है कि यदि उच्च न्यायालय ऐसी रिट याचिकाओं पर विचार करते हैं, तो उनके पास ऐसी रिट याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी और वे ऐसी रिट याचिकाओं से निपटने के अलावा कोई अन्य काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए, हमने माना है कि शिकायतकर्ता को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए अपने वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए और यदि वह ऐसा करता है, तो मजिस्ट्रेट, यदि वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और मामले में उचित जांच भी सुनिश्चित करेगा, और वह जांच की निगरानी भी कर सकता है।

4. साकिरी वासु मामले में स्थापित स्थिति को देखते हुए, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है। संबंधित मजिस्ट्रेट को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत कथित अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है और यदि वह इसे आवश्यक समझता है, तो वह संबंधित एसएसपी/एसपी को जांच अधिकारी को बदलने की सिफारिश भी कर सकता है, ताकि उचित जांच हो सके। मजिस्ट्रेट जांच की निगरानी भी कर सकता है, हालांकि वह खुद जांच नहीं कर सकता (क्योंकि जांच पुलिस का काम है)। पक्षकार संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी इच्छानुसार कोई भी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्वान मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में किसी भी अवलोकन से अप्रभावित रहेंगे।"

9. इन परिस्थितियों में, हम वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं और पुलिस द्वारा मामले की जांच और एफआईआर दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को खारिज करते हैं। साथ ही, हमारा आदेश प्रथम प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18-09-2008 की शिकायत के अनुसार पुलिस के पास दस्तावेज और कागजात दाखिल

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा और पुलिस को संतुष्ट होने पर कि आपराधिक मामला बनता है, एफआईआर दर्ज करने की स्वतंत्रता होगी। प्रथम प्रतिवादी के लिए यह भी खुला है कि यदि उचित और आवश्यक समझा जाए तो वह महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी तरह, अपीलकर्ताओं और अन्य लोगों के लिए भी अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाना खुला होगा।"

10. उपरोक्त कानूनी प्रावधानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। हालांकि, यदि याचिकाकर्ता को शिकायत दर्ज करने के लिए उचित और आवश्यक लगता है तो वह अपराध के स्थान पर प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में जा सकता है और बदले में मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि शिकायत किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों और सामग्रियों पर विचार करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

12. परिणामस्वरूप, रिट याचिका किसी भी सार से रहित होने के कारण याचिकाकर्ता के पक्ष में पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

सही /–
(नरेन्द्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur